न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे. पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 582/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. छोटूराम पुत्र मंगाराम जाति-माली, निवासी-जैतारण तह0-जैतारण, जिला-पाली		1. गोपूराम पुत्र हिमताराम 2. गैनाराम पुत्र हिमताराम 3. भींयाराम पुत्र हिमताराम 4. पानीदेवी पत्नि हिमताराम 5. मुगनाई पुत्री हिमताराम 6. पूनाराम पुत्र दईराम फौत 6/1 दानाराम पुत्र पूनाराम 6/2 ओमाराम उर्फ मांगीलाल पुत्र पूनाराम 6/3 केलकी पुत्री पूनाराम 6/4 सेमली पुत्री पूनाराम 7. चिमनाराम पुत्र दईराम 8. चन्द्राराम पुत्र ओगड़राम 9. भगाराम पुत्र ओगड़राम जातियान-सिरवी,निवासी-जैतारण तह0-जैतारण, जिला-पाली 10. तहसीलदार, जैतारण तह0-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.22/12/2016**

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 27/03/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा-हुनावासखुर्द, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 97/23 रकबा 2-02 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें वादी 12/42 व 1/8 यानि कुल 27/56वें हक हिस्से की भूमि आई हुई हैं। जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबन्दी इस आराजी की वाद-पत्र के पेश की हैं। इस आराजी को वाद-पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादी व प्रतिवादीगण की उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में तो शामलाती दर्ज हैं। लेकिन मौके पर आपसी सहमति से अलग-अलग बंटी हुई हैं। इसी माफिक वादी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर के काश्त करवा रहा हैं एवं वादी के भूमि चारों तरफ खन्दक बनी हुई हैं। वादी अब इस भूमि का भू-रूपान्तरण करवाना चाहा रहा हैं। परन्तु भूमि प्रतिवादीगण के शामलाती दर्ज होने की वजह से वादी की भूमि का भू-रूपान्तरण नही हो पा रहा हैं। इस बाबत् वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार आपसी सहमति से इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा कराने का कहा, लेकिन प्रतिवादीगण इससे सहमत नहीं हैं तथा वादी द्वारा बंटवाड़ा व तरमीम का बार-बार कहने के बावजूद प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं एवं दिनांक 10/12/2016 को प्रतिवादीगण ने इस भूमि का बंटवाड़ा करवाने से ईन्कार कर दिया हैं। जिस पर वादी की ओर से यह वाद-पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमति से बंटी हुई हैं तथा वादी के हिस्से की भूमि के चारों तरफ खन्दक खी हुई हैं। लेकिन कब प्रतिवादीगण की नियत खराब होने से वह वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने को आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण ऐसा दृष्कृत्य करने में सफल हो जाते हैं, तो वादी अपनी हक हिस्से की भूमि से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादी का अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 09 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। बिनायवाद दिनांक 10/12/2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने व कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने पर बमुकाम-हुनावासखुर्द, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र-गरनिया में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। वकील वादी ने शहादत वादी पेश करने का समय चाहते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद भी शहादत पेश नहीं करने से शहादत वादी बन्द की जाती हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा पक्षकारानों में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व मौजा-हुनावासखुर्द, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 97/23 रकबा 2-02 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें वादी 12/42 व 1/8 यानि कुल 27/56वें हक हिस्से की भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1004 दिनांक 04/09/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/1228 दिनांक 14/03/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–हुनावासखुर्द, पटवार हल्का–गरनिया, तहसील–जैतारण वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 97/23 रकबा 2–02 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें वादी 12/42 व 1/8 यानि कुल 27/56वें हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	छोटूराम पुत्र मंगाराम कौम माली सा0 जैतारण खातेदार	97/23	1-00-00	बा0दो0	0.31 रू.
2	गोपूराम गेनाराम भींयाराम पि0 हिमताराम पानीदेवी पत्नि हिमताराम मुगनाई पुत्री हिमताराम दानाराम पुत्र पूनाराम ओमाराम उर्फ मांगीलाल पुत्र पूनाराम केलकी सेमली पुत्रीया पूनाराम 6/22 हि0 चिमनाराम पुत्र दहीराम 11/22 हि0 चन्दाराम मगाराम पि0 ओगड़राम 5/22 हि0 कौम सीरवी साव देह खातेदार कौम–मेघवाल सा0 देह खातेदार।	97/25	1-02-00	बा0दो0	0.34 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मोहर

निर्णय आज दिनॉक 27/03/2018 को रसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner